संख्या : /XXIV–B–5/2024/09(02)परीक्षा

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक : 04 सितम्बर, अगस्त, 2024

विषय :– उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की परिषदीय परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः अका0/सात(ग)–03(01)/2023/11948–49/2024–25 दिनांकः 16 अगस्त, 2024 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, आगामी वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए जाते हैंः–

1. (1) समस्त ऐसे राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जिनमें परीक्षार्थियों की सम्पूर्ण संख्या 60 या उससे अधिक है, परिषदीय परीक्षा 2025 में परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। ऐसे विद्यालयों में परीक्षार्थियों को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जाय।

(2) परीक्षार्थियों की संख्या 60 से कम होने पर समीपस्थ विद्यालयों में जहाँ परीक्षा केन्द्र स्थापित हो, उन परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र की सुविधा प्रदान की जाय। ऐसे एक विद्यालय के समस्त बालक/बालिका संस्थागत परीक्षार्थियों को निकटस्थ एक ही परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाय।

(3) निःशक्तजन परीक्षार्थियों को निकटवर्ती, सुविधाजनक परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाय। निःशक्तजन परीक्षार्थियों को बाधा रहित परीक्षा केन्द्र पर भूतल में बैठने की सुविधा प्रदान की जाय।

(4) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा प्रभारी एवं परीक्षा प्रभारी के साथ दो शिक्षकों की सहायक के रूप में सम्बन्धित केन्द्र/विद्यालय के अध्यापकों की तैनाती की जायेगी तथा इन्हें कक्ष निरीक्षकों के कार्यों से मुक्त रखा जायेगा किन्तु परीक्षा केन्द्रों में समस्त कक्षनिरीक्षकों की नियुक्ति निकटवर्ती बाह्य विद्यालयों से की जायेगी। कक्ष निरीक्षकों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर 08 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत की जाय, तत्पश्चात विकासखण्ड स्तर पर तैनाती की जाय, आवश्यकता पड़ने पर जनपद स्तर पर तैनाती की जाय। कक्ष निरीक्षक कार्य हेतु जनपद स्तर से बाहर तैनाती कदापि न की जाय।

2. व्यक्तिगत बालक/बालिका परीक्षार्थियों को अपने पंजीकरण के विद्यालय में परीक्षा केन्द्र की सुविधा किसी भी परिस्थिति में प्रदान न की जाए। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए यथासम्भव विकासखण्ड/तहसील मुख्यालय के या उसके निकटवर्ती मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित स्वच्छ प्रशासनिक छवि वाले विद्यालय को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। व्यक्तिगत बालिका परीक्षार्थियों को निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है।

3. जिन दूरस्थ विद्यालयों में परीक्षार्थियों की संख्या 60 से कम हो ऐसे विद्यालयों में अन्यत्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को स्थानान्तरित कर परीक्षा केन्द्र निर्धारित न किया जाय।

4. परीक्षा की शुचिता एवं प्रभावी प्रशासनिक नियन्त्रण के उद्देश्य से किसी भी विद्यालय को केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

5. किन्ही भी दो पंजीकरण केन्द्रों में पंजीकृत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र आपस में बदलकर उन दो पंजीकरण केन्द्रों में स्थित परीक्षा केन्द्रों में स्थापित न किए जाय।

6. किसी एक पंजीकरण केन्द्र से पंजीकृत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उस केन्द्र को न बनाया जाय जिसे विगत वर्ष उनके लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया था।

7. अच्छी छवि वाले एवं विवादहीन विद्यालय को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

8. विगत वर्षों में जिन विद्यालयों के विरुद्ध जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी, बाह्य केन्द्र निरीक्षकों के द्वारा केन्द्र की शुचिता के सम्बन्ध में प्रतिकूल निरीक्षण आख्या दी गयी हो या शिकायत की गयी हो, अथवा परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग हुई हो, अथवा ऐसे विद्यालय जिसके प्रबन्ध तंत्र एवं प्रधानाचार्य में कोई विवाद हो, को परिषदीय परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

9. जिन परीक्षा केन्द्रों में विगत 03 वर्षों से जिला प्रशासन, विभागीय निरीक्षक, सचल दल एवं सर्वेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार या हिंसात्मक घटना की गयी हो अथवा पूर्व में सामूहिक नकल की गयी हो अथवा शासन द्वारा किसी विद्यालय को भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाने के आदेश निर्गत किए गए हों अथवा किसी परीक्षा केन्द्र में नकल की घटना के कारण पुन : परीक्षा करायी गयी हो, ऐसे विद्यालयों को परिषदीय परीक्षा हेतु केन्द्र न बनाया जाय।

10. परीक्षार्थी के जनपद में ही उसका परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय।

11. एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक विद्यालय के परीक्षार्थियों को आवंटित किया जा सकता है।

12. प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुए परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु विद्यालयों के लिए कुछ अपरिहार्य शर्तें निधारित की गई हैं जो निम्नवत् हैं :–

किसी विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के लिए अनिवार्य होगा कि:–

अ. विद्यालय का भवन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो। निर्जन तथा एकान्त में स्थित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

ब. जिस कक्ष में प्रश्न पत्र रखे जायें, वह पक्का तथा सुरक्षित हो। उसमें प्रवेश/निकास का एक ही दरवाजा हो जिसमें पृथक–पृथक दो ताले लगाने की व्यवस्था हो। (यदि दो दरवाजे हों तो परीक्षाकाल में एक दरवाजे को स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाय।) खिड़की इत्यादि में मजबूत ग्रिल आदि की सुरक्षा हो।

स. प्रश्नपत्र रखे जाने हेतु स्टील की मजबूत आलमारी हो जिसमें पृथक–पृथक दो ताले लगाने हेतु मजबूत तथा सुरक्षित व्यवस्था हो। मुख्य शिक्षा अधिकारी उक्त व्यवस्था से आश्वस्त होकर ही विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने का प्रस्ताव करेंगे।

13. संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के चिन्हीकरण हेतु मानक रखे गये हैं ऐसे विद्यालयों का चिन्हीकरण करके उनके सन्दर्भ में व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष कार्यवाही किये जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इसे बिन्दु 15 में समाहित किया गया है।

14. कार्य संचालन की दृष्टि से संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर यथा संभव उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को केन्द्र व्यवस्थापक बनाया जाय। जिन व्यक्तियों को विभिन्न कारणों से केन्द्र व्यवस्थापक नहीं बनाया जाना है। उनके सम्बन्ध में बिन्दु 16 में स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है।

15. संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर परिषदीय परीक्षा के सफल सम्पादन हेतु आवश्यक विशेष उपाय किये जायं। मुख्य शिक्षा अधिकारी इन परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सुरक्षा सम्बन्धी एवं अन्य व्यवस्थागत् उपाय सुनिश्चित करायेंगे। संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील कोटि में परीक्षा केन्द्रों का चिन्हीकरण निम्नवत् किया जायेगा :–

संवेदनशील परीक्षा केन्द्र :–

अ. जहाँ एक पारी में परीक्षा दे रहे बालकों की अधिकतम संख्या, अथवा बालक और बालिकाओं के मिश्रित केन्द्र की स्थिति में एक पारी में अधिकतम मिश्रित संख्या 400 से अधिक हो। (इसके लिए हाईस्कूल के अनिवार्य विषय के प्रश्नपत्र में परीक्षार्थियों की संख्या को आधार बनाया जाय।)

और/अथवा

ब. जो स्थल आसान पहुँच से बाहर (दूरस्थ) हों।

और/अथवा

स. जहाँ नकल के प्रयास की विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई हो।

अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्र :–

अ. जहाँ उपर्युक्त अ, ब, तथा स में वर्णित स्थितियों में से कोई एक अथवा अधिक स्थिति विद्यमान हो।

तथा

ब. जहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा की शुचिता भंग करने का प्रयास किया गया हो, और/अथवा हिंसात्मक गतिविधियाँ, आगजनी की गई हो, और/अथवा परीक्षार्थियों द्वारा अभद्र व्यवहार या हिंसात्मक गतिविधियाँ, आगजनी की गई हो। यदि केवल उक्तवत् 'ब' के अन्तर्गत वर्णित परिस्थितियाँ ही विद्यमान हों, तब भी परीक्षा केन्द्र को अतिसंवेदनशील कोटि में चिह्नित किया जायेगा।

16. राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक को केन्द्र व्यवस्थापक बनाया जाय। वित्तविहीन विद्यालय के प्रधानाचार्य/शिक्षक को केन्द्र व्यवस्थापक न बनाया जाय।

ऐसे व्यक्तियों को केन्द्र व्यवस्थापक न बनाया जाय :–

अ. जिनके सन्दर्भ में परीक्षा में प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त हुई हो।

और/अथवा

ब. जिनके केन्द्र व्यवस्थापक रहते हुए परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल हुई हो।

और/अथवा

स. जिनके द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कोई अन्य अनियमितता की गई हो।

उक्त के अतिरिक्त भी मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेकर किसी केन्द्र पर वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की व्यवस्था कर सकते हैं।

17. ऐसे स्थान पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जायें जो यातायात एवं संचार के साधनों से जुड़े हों, सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो, विद्यालय में चहारदीवारी उपलब्ध हो ताकि परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर बाह्य व्यक्ति प्रवेश न कर सकें एवं प्रश्न पत्रों तथा उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनायी रखी जा सके।

18. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक कस्टोडियन/कक्ष निरीक्षक की व्यवस्था की जाय। कस्टोडियन के रूप में अन्य विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ प्रवक्ता की नियुक्ति की जाय। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का सम्मिलित दायित्व केन्द्र व्यवस्थापक, कस्टोडियन एवं परीक्षा सहायक का संयुक्त रूप से होगा।

19. परीक्षा केन्द्र पर 60 परीक्षार्थियों की न्यूनतम् संख्या होना अनिवार्य है। यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर 1200 से अधिक परीक्षार्थी आवंटित किए गये हैं, तो ऐसे विद्यालय भवन को दो भागों में विभाजित करते हुए परीक्षा केन्द्र बनाए। किसी भी दशा में किसी परीक्षा केन्द्र पर तम्बू, कनात अथवा नितान्त वैकल्पिक व्यवस्था करके परीक्षा आयोजित न की जाय।

20. संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र की क्षमता आवेदन पत्रों को स्वीकार करते समय मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाय, तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाय कि संस्थागत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों की संख्या विद्यालय की धारण क्षमता/ नियमित रूप से शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक न हो।

21. परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के समय परीक्षा कक्षों में पर्याप्त प्रकाश, विद्युत, दूरसंचार, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर एवं प्राथमिक उपचार की सुविधा आदि को दृष्टिगत रखा जाय।

22. वित्त विहीन प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति के द्वारा लिया जायेगा। उक्त स्थिति में केन्द्र व्यवस्थापक अथवा कस्टोडियन में से एक की तैनाती राजकीय एवं सवित्त मान्यता वाले विद्यालय से की जायेगी।

23. <u>परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के प्रस्ताव में विद्यालय स्थल से केन्द्र स्थल की दूरी अक्षरशः सही अंकित की जाय।</u> परीक्षा केन्द्र के विद्यालय का नाम, कोड अवश्य लिखा जाय। जिस विद्यालय के बालक/बालिका को अलग–अलग परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया जाना हो उसे लाल स्याही से अलग–अलग (बालक–बालिका) अंकित किया जाय।

24. (क) परीक्षा केन्द्रों में यदि नकल की शिकायत प्राप्त होती है तो शेष परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के प्रश्न पत्रों में पूर्ण परीक्षा समय अवधि तक स्थाई रूप से सचल दल की व्यवस्था की जाय।

(ख) परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों एवं कक्ष निरीक्षकों हेतु मोबाइल पूर्णतः प्रतिबन्धित रखा जाय।

(ग) परीक्षा अवधि में शिक्षक, कक्ष निरीक्षक एवं केन्द्र व्यवस्थापक यदि नकल कराते हुए पकड़े जाते हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्मित विनियम के अध्याय छः (ख) अनुचित साधनों के मामलों के निस्तारण के लिए समितियां पैरा (1) से (5) में निहित सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय। साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण से पूर्व संबंधित तहसीलों के उपजिलाधिकारियों की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी तथा जिलास्तरीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रेषित प्रस्ताव में राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये जाने की स्थिति में स्पष्ट एवं सम्यक कारण दर्शाते हुए परिवर्तन यदि आवश्यक हो तो उससे पूर्व जिला स्तरीय समिति की सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

<u>परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर समितियां निम्नवत् गठित की जाय :</u>

<u>जनपद स्तरीय समिति :</u>

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
4.	जिले के दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य (जिनमें 01 ग्रामीण क्षेत्र से अवश्य हों)	सदस्य

जिस तहसील के परीक्षा केन्द्र के निर्धारण पर विचार करते समय सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित किया जाय।

जनपदीय समिति के सम्मुख प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की सम्पूर्ण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा जिनमें अन्य विवरण के साथ विद्यालय में परीक्षार्थियों की क्षमता, दूरी, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, परीक्षार्थियों की संख्या, प्रश्न पत्रों एवं उत्तरपुस्तिकाओं की गोपनीयता एवं सुरक्षा की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं प्रमाणित की जायेंगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी अपनी आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगे ताकि सभी जनपदों में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु एकसमान नीति अपनाई जाय। संबंधित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेंगे जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों तथा उनसे सम्बन्धित विद्यालयों के विषय में जनपद में पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि यदि कोई आवश्यक संशोधन किया जाना हो तो उसे राज्य स्तरीय समिति की बैठक से पूर्व संशोधित कर लिया जाय।

(ख) <u>राज्य स्तरीय समिति :</u>

1.	निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)	अध्यक्ष
2.	सचिव परिषद्	सदस्य सचिव
3.	मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)	सदस्य
4.	समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य

परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर परिषद् के सचिव द्वारा सदस्य सचिव के रूप में कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं राज्य स्तरीय समति द्वारा परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने की स्थिति में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग पर अंकुश लगाये जाने एवं परिषदीय परीक्षाओं की पवित्रता/गुणवत्ता बनाये रखने हेतु परिषद की आगामी परीक्षाओं के आयोजन हेतु उपरोक्त प्रस्तरों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 03-09-2024 13:49:10

(रविनाथ रामन)
सचिव।

प्रतिलिपि :– निम्ननिलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
3. अपर निदेशक, महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमायूं मण्डल–नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 04-09-2024 12:30:47

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव